राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1962 दिनांक : 23/03/18

कार्यालय आदेश

M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(158)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2015/1069 दिनांक 07 / 08 / 2015 के तहत औषधि Ceftriaxone Inj. IP 250 mg/Vial [94] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1765 दिनांक 01 / 02 / 2017 एवं 427 दिनांक 17 / 05 / 2017 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशो की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 04 बैच को Clarity of Solution test a & b एवं Particulate Matter में अमानक कोटि की घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैच Clarity of Solution test a & b एवं Particulate Matter में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।
इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 15 / 12 / 2017 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। प्रकरण को दिनांक 20 / 02 / 2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पुनः रखा गया, समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2017-18/1329 दिनांक 13 / 12 / 2017 के क्लॉज 4.5 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205 की औषधि Ceftriaxone Inj. IP 250 mg/Vial [94] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा) 22/3/18
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1962 दिनांक : 23/03/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।

4. निदेशक, पी.एच / आर.सी.एच. / एच.ए / ए.आई.डी.एस. / एम.एस.यू / आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान / हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट) / वित्त / एल / ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात / केरल / तमिलनाडु / बिहार / छत्तीसगढ़ / पश्चिम बंगाल / कर्नाटक / हरियाणा / मध्य प्रदेश / महाराष्ट्र / जम्मू कश्मीर।
13. M/s Scott Edill Pharmacia Ltd., 56, E.P.I.P, Phase-I, Jharmajri-173205.
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)